वेब बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर

आहरण एवम् वितरण अधिकारियों के कार्य

राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के समस्त कार्य ऑनलाईन सम्पादित करने के लिए वेबपोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल का एड्रेस **www.sipfportal.rajasthan.gov.in** है। यह वेबपोर्टल डीडीओ सेन्ट्रिक है अर्थात शिड्यूल, ऋण, आहरण आवेदन, अन्तिम भुगतान आवेदन, एम्पलॉई मास्टर इत्यादि समस्त कार्य डीडीओ द्वारा ही प्रारम्भ किये जायेंगे।

ऑनलाईन कार्य करने के लाभ :–

- *रियल टाईम ट्रांजेक्शन।*
- *त्रुटि रहित गणना।*
- *समय एवं परिश्रम की बचत।*
- *24 X 7 सेवा उपलब्ध।*
- *प्रत्येक कर्मचारी एवं डीडीओ को Access सुविधा उपलब्ध।*
- *पारदर्शिता*

परम्परागत तरीके से लेखों का संधारण करने के मुकाबले इलेक्ट्रोनिक माध्यम से लेखों का संधारण किया जाना सुगम, त्रुटिरहित एवं गुणवत्ता युक्त होने से वर्तमान में सभी विभागों में इसे अपनाया जा रहा है।

पासवर्ड सुरक्षा

प्रत्येक डीडीओ को यूजर नेम एवं पासवर्ड राज्य बीमा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। यह गोपनीय एवं अहस्तान्तरणीय है। डीडीओ के लॉगिन में जो भी कार्य सम्पादित होगा उसके नाम से कम्प्यूटर स्वतः रेकार्ड करेगा।

अतः डीडीओ अपना पासवर्ड किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करें। प्रारम्भ में आपको पासवर्ड उपलब्ध कराया गया है, यह पासवर्ड लॉगिन करने के तुरन्त बाद ही सिस्टम इसको बदलने के लिये आपसे नया पासवर्ड मांगता है। पासवर्ड चार से दस अंक/शब्द/संकेतों के समूह में हो सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से समय–समय पर पासवर्ड बदलना उचित रहता है।

हैल्प/सम्पर्क

ऑनलाईन कार्य करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के समाधान हेतु विभाग के निम्न सम्बन्धित सम्पर्क सूत्र का उपयोग करें :

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	दूरभाष	ई–मेल एड्रेस
1	आयुक्त,राज्य बीमा एवं प्रा. नि.विभाग,जयपुर	0141–220786	comm.sipf@rajasthan.gov.in
2	अति.निदेशक (सिस्टम) जयपुर	0141–2206603	add.vig.sipf@rajasthan.gov.in
3	अति.निदे.साधारण बीमा योजना, जयपुर	0141.2270219	add-gis-sipf@rajasthan.gov.in
4	संयुक्त निदेशक(सिस्टम)	0141–2206333	add.sys.sipf@rajasthan.gov.in
5	उप निदेशक (सिस्टम) जयपुर	0141–2202347 एक्स–109	dd.sys.sipf@rajasthan.gov.in
6	संयुक्त निदेशक जयपुर संभाग–प्रथम	0141–2203147	add1.jai.div.sipf@rajasthan.gov.in
7	संयुक्त निदेशक जयपुर संभाग–द्वितीय	0141–2206403	add2.jai.div.sipf@rajasthan.gov.in
8	संयुक्त निदेशक,भरतपुर	05644–220207	add.bha.sipf@rajasthan.gov.in
9	संयुक्त निदेशक,जोधपुर	0291–2556414	add.jod.sipf@rajasthan.gov.in
10	संयुक्त निदेशक,अजमेर	0145–2621978	add.ajm.sipf@rajasthan.gov.in
11	संयुक्त निदेशक, बीकानेर	0151–2226631	add.bik.sipf@rajasthan.gov.in
12	संयुक्त निदेशक, कोटा	0744–2322576	add.kot.sipf@rajasthan.gov.in
13	संयुक्त निदेशक, उदयपुर	0294–2485965	add.uda.sipf@rajasthan.gov.in

डीडीओ के कर्तव्य : प्रत्येक डीडीओ को लॉगिन एवं पासवर्ड राज्य बीमा विभाग द्वारा जारी किया जायेगा। विभागीय वेबसाईट sipfportal.rajasthan.gov.in एड्रेस बार पर टाईप करने के पश्चात डीडीओ अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करेगा। डीडीओ को निम्नलिखित मॉड्यूल उपलब्ध है।

1. एम्पलॉई	2. जीपीएफ	3. बीमा
4. एनपीएस	5. फिडिलिटी	6. जीपीए

इन प्रत्येक मॉड्यूल में कार्य करने की विधि विस्तृत रूप से समझाने हेतु लिखित विवरण अलग से पेपर पर उपलब्ध करवाये गये हैं।

डीडीओ एम्पलॉई मॉड्यूल में निम्नलिखित कार्य आप द्वारा सम्पादित किये जाने हैं :

एम्पलॉई मास्टर

- कर्मचारी की बेसिक डिटेल
- कॉन्टेक्ट डिटेल
- सर्विस डिटेल
- फैमिली डिटेल
- बैंक डिटेल
- ट्रांसफर/डेपुटेशन डिटेल
- उक्त सभी स्क्रीन में आल्ट्रेशन हेतु आवेदन

एम्पलॉई मास्टर के सभी फील्ड्स् में राज्य बीमा विभाग द्वारा फीडिंग की जा चुकी है। डीडीओ को अपने यहां पद स्थापित सभी कर्मचारियों के उक्त समस्त फील्ड्स् की जांच करनी है और उनमें कोई संशोधन हो तो वह संशोधन आल्ट्रेशन स्क्रीन पर सम्बन्धित फील्ड को सलेक्ट कर किया जा सकता है। भविष्य में अन्य कर्मचारियों के सेवा में आने अथवा स्थानान्तरण/डेपुटेशन की स्थिति में कार्यवाही डीडीओ के स्तर पर ही सम्पादित की जानी है।

जीपीएफ

- एप्लीकेशन क्रियेशन का कार्य।
- जीपीएफ शिड्यूल तैयार कर बीमा विभाग को अग्रेषित करना।
- जीपीएफ पेमेन्ट शिड्यूल तैयार कर बीमा विभाग को अग्रेषित करना।
- स्थायी/अस्थायी आहरण आवेदन पत्र तैयार कर बीमा विभाग को अग्रेषित करना।
- अन्तिम आहरण आवेदन पत्र तैयार कर बीमा विभाग को अग्रेषित करना।
- नोमिनेशन परिवर्तन आवेदन पत्र तैयार कर बीमा विभाग को अग्रेषित करना।

बीमा

- बीमा पालिसी क्रियेशन कर बीमा विभाग को अग्रेषित करना।
- बीमा शिड्यूल तैयार कर बीमा विभाग को अग्रेषित करना।
- बीमा पेमेन्ट शिड्यूल तैयार कर बीमा विभाग को अग्रेषित करना।
- ऋण आवेदन पत्र तैयार कर बीमा विभाग को अग्रेषित करना।
- परिपक्वता/मृत्यु/अध्यर्पण स्वत्व आवेदन पत्र तैयार कर बीमा विभाग को अग्रेषित करना।
- नोमिनेशन परिवर्तन आवेदन पत्र तैयार कर बीमा विभाग को अग्रेषित करना।

एनपीएस

- एनपीएस एप्लीकेशन क्रियेशन कर बीमा विभाग को अग्रेषित करना।
- शिड्यूल तैयार कर बीमा विभाग को अग्रेषित करना।
- पेमेन्ट शिड्यूल तैयार कर बीमा विभाग को अग्रेषित करना।
- स्वत्व आवेदन पत्र तैयार कर बीमा विभाग को अग्रेषित करना।
- नोमिनेशन परिवर्तन आवेदन पत्र तैयार कर बीमा विभाग को अग्रेषित करना।

फिडिलिटी

निम्नांकित आवेदन पत्र ऑनलाईन राज्य बीमा विभाग को अग्रेषित करना।

- फिडिलिटी के प्रस्ताव पत्र राज्य बीमा विभाग को अग्रेषित करना।
- फिडिलिटी के दावा प्रपत्र राज्य बीमा विभाग को अग्रेषित करना।

जीपीए

- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के निम्नलिखित आवेदनों/प्रस्तावों/प्रपत्रों को राज्य बीमा विभाग को अग्रेषित करना।
- कर्मचारियों के जीपीए प्रस्ताव पत्र राज्य बीमा विभाग को अग्रेषित करना।
- स्वायत्तशाषी निकाय के कर्मचारियों के जीपीए प्रस्ताव पत्र राज्य बीमा विभाग को अग्रेषित करना।
- विद्यार्थी समूह दुर्घटना बीमा योजना के प्रस्ताव पत्र राज्य बीमा विभाग को अग्रेषित करना।
- जीपीए का दावा प्रपत्र राज्य बीमा विभाग को अग्रेषित करना।
- कटौती पत्र (शिड्यूल) एवं भुगतान प्रपत्र राज्य बीमा विभाग को अग्रेषित करना।